

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक/कृषि निवेश/बी-250(टीसी-1)दिनांक ::लखनऊ ::15-सितम्बर, 2017

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,
सहकारिता, उ०प्र०।
2. समस्त सचिव/महाप्रबंधक,
जिला सहकारी बैंक लि०।
3. समस्त जिला प्रबंधक
पी.सी.एफ. उ०प्र०।


विषय-इफको उर्वरकों की दिनांक 14.09.2017 से आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरों में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

राज्य विपणन प्रबंधक इफको लखनऊ ने अपने पत्र सं० 2459-62 दिनांक 13.09.2017 द्वारा इफको फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरों में दिनांक 14.09.2017 से कमी किया जाना अवगत कराते हुए नई आपूर्ति दरें निम्नानुसार संसूचित किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त क्रम में फास्फेटिक उर्वरकों की नवीन दरें निम्नवत संसूचित की जाती है :-

(धनराशि रू०में)

क्र०	विवरण (प्रति मेट्रन)	डीएपी	एनपीके 12:32:16	एनपीके 10:26:26
1	एक्स फैक्ट्री प्राईस	20015-24	19729-52	19615-24
2	विशेष छूट	495-24	685-71	666-67
3	कर योग्य धनराशि	195-20	19043-81	18948-57
4	सी.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	488-00	476-10	473-71
5	एस.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	488-00	476-10	473-71
6	कुल जी.एस.टी. धनराशि	976-00	952-19	947-43
7	नेट इश्यू प्राईस	20496-00	19996-00	19896-00
8	डीलर मार्जिन	480-00	480-00	480-00
9	डीलर मार्जिन पर सी.जी.एस. टी. 2.5 प्रतिशत +	12-00	12-00	12-00
10	डीलर मार्जिन पर एस.जी.एस. टी. 2.5 प्रतिशत +	12-00	12-00	12-00
11	डीलर मार्जिन पर कुल जी. एस.टी. धनराशि	24-00	24-00	24-00
12	कृषकों हेतु फुटकर बिक्री दर	21000-00	20500-00	20400-00
13	कृषकों हेतु फुटकर बिक्री दर प्रति 50 किग्रा बैग	1050-00	1025-00	1020-00


1. उपरोक्त दरों पर दिनांक 14.09.2017 से समितियों/बिक्री केन्द्रों को इफको डीएपी व एनपीके की आपूर्ति की जायेगी।
2. समितियों/बिक्री केन्द्रों पर दिनांक 14.09.2017 से पूर्व आपूर्तित उर्वरकों की भी बिक्री नवीन दरों से की जायेगी।
3. समितियों पर दिनांक 01.07.2017 से 13.09.2017 के मध्य नये दर से आपूर्तित डीएपी व एनपीके के अवशेष संभार पर अन्तर मूल्य प्रतिपूर्ति रू0 520.00 तथा 720.00 प्रति मै0टन की दर से दिनांक 13.09.2017 के अवशेष संभार पर दी जायेगी। जीएसटी प्रभावी तिथि दिनांक 01.07.2017 से पूर्व आपूर्तित फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दर वर्तमान प्रस्तावित दर से कम थी। अतः उपरोक्त उर्वरकों पर कोई अन्तर मूल्य देयता नहीं है।
4. यह दरें दिनांक 14.09.2017 से 31.10.2017 तक लागू होंगी।
5. उक्त उर्वरकों की आपूर्ति प्रदायकर्ता द्वारा एफ0ओ0आर0 के आधार पर की जायेगी।


 (अजय चौहान)
 आयुक्त एवं निबन्धक
 सहकारिता, उ०प्र०
 लखनऊ।

परिपत्रांक : **ए-३७** / कृषि निवेश/बी-250 टीसी-1 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य विपणनप्रबन्धक, इफको, 8, गोखलेमार्ग, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र०।
9. प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन, लखनऊ।


 (रामप्रकाश)
 अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ०नि०)
 सहकारिता, उ०प्र०लखनऊ।
 लखनऊ।